शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 48 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 28 – 5 दिसम्बर 2022 मूल्य पांच रूपए

कांग्रेस का आंकड़ा पचास तक पहुंचने का अनुमान

उपचुनावों के बाद भी महंगाई और बेरोजगारी में कोई कमी नहीं आयी

मतदान के दूसरे ही दिन मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव का दिल्ली चले जाना क्या संकेत है?

सरकार के वित्त सचिव का कांग्रेस नेता से सहायता मांगना क्या संकेत है?

कांग्रेसी की गारन्टीयों के परिणाम स्वरूप महिला मतदाताओं की संख्या रही ज्यादा

सरकार की उज्जवला पर महिलाओं को प्रतिमाह पन्द्रह सौ का वायदा

ओ.पी.एस. बहाली की गारन्टी ने बदले कर्मचारी

शिमला/शैल। मतदान और मतगणना के बीच जितना अन्तराल

इस बार आया है इतना शायद पहले कभी ही रहा है। यह अन्तराल इतना लम्बा क्यों रखा गया इसका कोई समुचित तर्क सामने नहीं आ पाया है। इसी अन्तराल के कारण ई.वी. एम. मशीनों की सुरक्षा पर सवाल उठे। चुनाव आयोग को ऊना में इनकी सुरक्षा के लिये स्वयं टैन्ट लगाने पड़े। पोस्टल बैलट भी सवालों के घेरे में आ गये हैं। ऐसा क्यों हुआ है इसके लिये कोई संतोषजनक कारण सामने नहीं आये हैं। इस मतदान के दूसरे ही दिन मुख्यमन्त्री

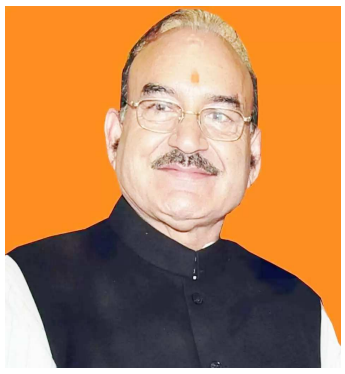

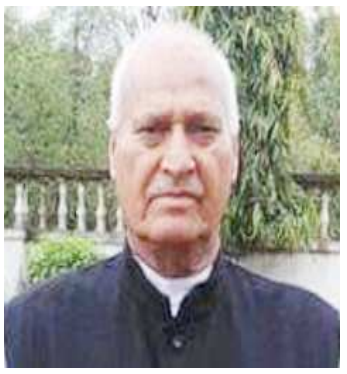

के प्रधान सचिव ने दिल्ली जाने की अनुमति सरकार से हासिल कर ली। चुनाव परिणामों तक भी इन्तजार नहीं किया। सरकार के वित्त सचिव ने कांग्रेस की प्रचार कमेटी के अध्यक्ष से सहायता की गुहार लगा दी। गुहार का यह आग्रह वायरल भी हो गया। चुनाव परिणामों से पहले ही यह सब घट जाने को कैसा राजनीतिक संकेत माना जाना चाहिये यह पाठक स्वंय तय कर सकते हैं।

2017 में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार ने 2019 में लोकसभा चुनाव का सामना किया। हिमाचल समेत पूरे देश में इन चुनावों में भाजपा ने इतिहास रचा। इन चुनावों के कारण सुरेश कश्यप और किशन कपूर की विधानसभा सीटें खाली हुई और यह उपचुनाव भी भाजपा जीत गयी। लेकिन इसके बाद जब सरकार की परफारमैन्स जनता के सामने व्यवहारिक रूप से आती चली गयी तो इसका पहला प्रभाव नगर निगम चुनावों में देखने को मिला और सरकार चार में से दो नगर निगम हार गयी। इसके बाद हुये एक लोकसभा और तीन विधानसभा उपचुनावों में भाजपा चारों उपचुनाव हार गयी। इस हार पर तात्कालिक प्रतिक्रिया में महंगाई को मुख्यमंत्री ने हार का कारण माना था। क्या इन उपचुनावों के बाद महंगाई कम हुई है? क्या युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो पाया है? क्या मनरेगा में सरकार रोजगार उपलब्ध करवा पायी है? जब चारों उपचुनावों के बाद परिस्थितियों में कोई व्यवहारिक रूप से बदलाव आया ही नहीं है तो आज जनता का समर्थन किस आधार पर मिल पायेगा?

केन्द्र और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के नाम पर क्या कोई आर्थिक पैकेज प्रदेश को मिल पाया है शायद नहीं। बल्कि आज मुख्यमन्त्री को चुनावों के बाद केन्द्र से जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की मांग करनी पड़ी है। बल्कि जो कुछ भी कथित रूप से मिला है वह सैद्धान्तिक स्वीकृतियों से आगे नहीं बढ़ा है। प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना बन्द होने से दो सौ ग्रामीण सड़कें अधर में लटकी हुई हैं। क्या ग्रामीण इस स्थिति को भोग नहीं रहे हैं। इस परिदृश्य में हुए चुनावों में पार्टी को दो दर्जन बागियों का सामना करना पड़ा है। जिन सिद्धान्तों के नाम पर अन्य दलों से अपने को भिन्न होने का दावा करते थे इस चुनाव में उन सबकी बलि ले ली है और आम आदमी इस बात को समझ चुका है कि इनकी करनी और कथनी में कितना अन्तर है। कांग्रेस में तोड़फोड़ की नीति भी नामांकन भरे जाने तक ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुई है। बल्कि कांग्रेस से भाजपा में गये नेताओं को भाजपाइयों का कितना सहयोग मिल पाया है इसका खुलासा पवन काजल के वायरल हुए पत्र से लग जाता है।

उज्जवला जैसी योजनाओं के लाभार्थियों की प्रदेश भर में हुई रैलीयों में जितनी परेड जगह – जगह करवाई गयी उसकी काट कांग्रेस ने महिलाओं को प्रतिमाह पन्द्रह सौ रुपए देने की जो गारन्टी दी है वह निश्चित तौर पर भाजपा की योजनाओं पर भारी पड़ी है। इसी कारण महिला मतदाताओं की संख्या करीब पांच प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा रही है। ओ.पी.एस. की बहाली की गारन्टी ने कर्मचारियों की बहूप्रतिक्षित मांग को पूरा किया है जबकि भाजपा इस अहम मुद्दे पर अन्त तक स्पष्ट नहीं हो पायी है। इस परिदृश्य में हुये रिकॉर्ड तोड़ मतदान को बदलाव का सीधा संकेत माना जा रहा है। बल्कि बदलाव के लिये इस मतदान को एक तरफ माना जा रहा है। आंकड़ों के गणित में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस इसमें पचास सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। शिमला, सोलन, कुल्लू, बिलासपुर और ऊना में भाजपा को ज्यादा नुकसान होने का अनुमान है। भाजपा इस स्थिति से बाहर निकलने के लिये कांग्रेस के अन्दर बड़े स्तर पर तोड़फोड़ की रणनीति पर चल रही है और इसका संकेत अब निर्दलीयों के सर्वे का आंकड़ा उछाले जाने को माना जा रहा है। यह लग रहा है कि मीडिया के माध्यम से एक नयी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। जबकि विश्लेषक इस चुनाव में निर्दलीयों को नहीं के बराबर मान रहे हैं।

राज्यपाल ने डिजिटल अपराध और फोरेंसिक विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने फोरेंसिक विज्ञान विभाग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तरी रेंज, धर्मशाला के सहयोग से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित डिजिटल अपराध और फोरेंसिक में उभरते नये आयामों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में प्रौद्योगिकी आज विश्व को प्रभावित कर रही है और हम भी इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन, पिछले कुछ दशकों में हमने इस दिशा में अच्छे प्रयास किए हैं और कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने तकनीक के विभिन्न पहलुओं पर बल देते हुए कहा कि हम विज्ञान और तकनीक का उपयोग किस रूप में कर रहे हैं और कितना करना है, इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साइबर अपराध शारीरिक अपराध तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि डिजिटल अपराध जीवन का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध सभी अपराधों का स्रोत बन गया है, इसलिए हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि आज तकनीक सभी के लिए सुलभ है और इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ रहा है। हमें इसका सार्थक उपयोग करना तथा इसके दुष्परिणामों से बचने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध की जांच के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य का सीमा क्षेत्र विस्तृत है और हम इन क्षेत्रों में भी इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पार गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए इन क्षेत्रों से लगते गांवों में इसका उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह हम ज्ञान और तकनीक का उचित दिशा में उपयोग कर सकते हैं।

आर्लेकर ने कहा कि इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में आने वाले सुझावों और शोध पत्रों को संकलित कर भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए ताकि इस दिशा में उभरते वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की मेहनत का लाभ मिल सके। इससे पूर्व राज्यपाल ने फोरेंसिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न पत्रिकाओं का विमोचन भी किया। राज्यपाल की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और मेसर्ज नेक्सटेक्नो जनरल प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य उच्च कौशल मानव संसाधन की एक नई पीढ़ी के निर्माण के लिए प्रस्तावित सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के अलावा रोजगार और आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह से नए अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, एनटीजीपीएल और राज्य को इन उभरती प्रौद्योगिकियों में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने में मदद मिलगी तथा विशेष रूप से डिजिटल फोरेंसिक और साइबर जांच में प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित हो सकेगा। दोनों संस्थानों के बीच अनुभव और वैज्ञानिक/तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान उनकी पारस्परिक प्रगति और समाज की सेवा के लिए भी बहुत रुचिकर होगा।

वैज्ञानिक और मानक परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) के निदेशक वी.के. त्रिवेदी ने कहा कि वर्तमान दौर डिजिटल युग का है और इसके बिना हम अपने अस्तित्व के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत भारत डिजिटल प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और देश विभिन्न पहलों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने फोरेंसिक साइंस के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से जानकारी दी।

फ्लोरिडा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, यूएसए के कंप्यूटिंग एवं सूचना विज्ञान के नाइट फाउंडेशन स्कूल के प्रोफेसर डॉ. लतेश कुमार ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के प्रति कुलपति प्रो. ज्योति प्रकाश शर्मा, ने कहा कि विश्वविद्यालय को नैक टीम द्वारा ए-ग्रेड घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कई पहलें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जिससे शोधकर्ताओं और विद्वानों के ज्ञान को अद्यतन करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हमारी शोध की परंपरा बहुत प्राचीन है और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान का लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के फोरेंसिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और प्लानिंग एंड टीचर्स मैटर्स के डीन प्रो. अरविंद कुमार भट ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया और कहा कि फोरेंसिक विज्ञान विभाग वर्ष 2021 में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक विज्ञान में सीखने के स्तर में सुधार करने के लिए निरंतर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्यपाल ने कारागृह बंदियों के लिए सात नई पहलों का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के समीप आदर्श केन्द्रीय कारागार, कंडा में हिमाचल प्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग की सात नई योजनाओं का शुभारम्भ किया। इनमें ध्यान कार्यक्रम, टेलीमेडिसिन परियोजना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, अपशिष्ट प्रबंधन, निःशुल्क

ऑनलाइन कोचिंग, ऑडियो लाइब्रेरी और कविता संग्रह परवाज का विमोचन शामिल हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि कारागृह में बंदियों का हुनर देखना उनके लिए भावुक कर देने वाला क्षण है। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं सतवंत अटवाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कारागृह को सुधार गृह में परिवर्तित करने का प्रयास सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि बंदियों के भी विचार और भावनाएं होती हैं। उनके यहां आने का कारण दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन, उनका समय यहीं खत्म नहीं होता। भविष्य के लिए नई उम्मीदें उनका इंतजार कर रही हैं।

राज्यपाल ने उनसे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि बंदियों के यहां आने का जो भी कारण हो, वे यहां सीखने, प्रयोग करने, प्रशिक्षित होने और सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुधार गृह है इसलिए बंदियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों को अपनाने से न केवल उन्हें बल्कि समाज को भी लाभ होगा।

इस अवसर पर बंदियों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने ट्रान्सेंडैंटल ध्यान कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण का शुभारंभ किया, जिसे कि ट्रान्सेंडैंटल ध्यान संस्थान द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ई-संजीवनी के माध्यम से कारागृहों में टेलीमेडिसिन कार्यक्रम भी शुरू किया। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सक बंदियों को ऑनलाइन परामर्श देंगे। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से बंदियों के लिए एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी शुरू किया। वेस्ट वॉरियर्स सोसाइटी धर्मशाला के सहयोग से कारागार विभाग ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वेस्ट अंडर अरेस्ट प्रोग्राम के तहत धर्मशाला में एक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई भी स्थापित की है। प्रदेश के अन्य सभी कारागृहों में भी ऐसी इकाइयां संचालित की जाएंगी। इन इकाइयों में द्विआयामीय रणनीति होगी। बंदियों को कचरे का पृथीकरण करना सिखाया जाएगा और अन्य को अपशिष्ट अपसाइक्लिंग तकनीक जैसे कि हरे कचरे से वर्मीकम्पोस्टिंग और टेट्रा पैक से बोर्ड बनाना सिखाया जाएगा। राज्यपाल ने इस सोसायटी के सहयोग से कारागार में कचरा प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत भी की। उन्होंने स्माइल फाउंडेशन के सहयोग से बंदियों के बच्चों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग का शुभारम्भ भी किया। विभिन्न कारणों से किताबें न पढ़ सकने वाले बंदियों के लिए एक ऑडियो लाइब्रेरी भी शुरू की गई।

इसके उपरान्त, राज्यपाल ने कंडा कारागृह में पौधारोपण भी किया। उन्होंने बंदियों द्वारा निर्मित किए जाने वाले विभिन्न विभिन्न उत्पादों की इकाइयों का निरीक्षण भी किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल ने राज्यपाल का स्वागत किया और जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रत्येक कारागृह में एक-एक बैरक को फ्री कारागृह घोषित किया गया है। इनमें पात्र बंदी कारागृह से बाहर जाकर अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने योग्य महिला बंदियों को फ्री प्रिजन सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि देश की अन्य कारागृहों में भी हिमाचल प्रदेश के मॉडल को अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन कार्यो को विभिन्न संस्थानों द्वारा सराहा गया है और नौ विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत भी किया गया है।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभिषेक त्रिवेदी, राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

अंजना

राज्यपाल ने यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की गतिविधियों का विस्तार करने का किया आह्वान

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ने नई दिल्ली में एसोसिएशन की राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।

राज्यपाल ने इस अवसर पर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का आहवान करते हुए कहा कि सभी अपने-अपने राज्यों में एसोसिएशन की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए गंभीर प्रयास करें। उन्होंने विभिन्न राज्यों में कार्यरत एसोसिएशन की इकाइयों की वार्षिक आम बैठक और राष्ट्रीय परिषद की बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया ताकि इकाइयां अधिक सक्रिय हों सकें और उनकी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो पाए। उन्होंने सभी सदस्यों से मिलकर काम करने का आहवान किया।

बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति से प्राप्त विभिन्न सिफारिशों और प्रस्तावों पर चर्चा की गई। परिषद द्वारा बैठक में प्रस्तावित विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।

इससे पूर्व, अध्यक्ष यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वेंकट नारायणन ने राज्यपाल का स्वागत किया और बैठक की कार्यसूची के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारी व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।

उपमंडल दंडाधिकारी सलूणी डॉ. स्वाति गुप्ता ने जारी किए आदेश

शिमला/शैल। उपमंडल दंडाधिकारी सलूणी डॉ. स्वाति गुप्ता ने धारा 144 सीआरपीसी के तहत लंगेरा-भद्रवाह सड़क मार्ग पर तत्काल प्रभाव से वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। उपमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अतिरिक्त उपायुक्त भद्रवाह (जम्मू-कश्मीर) द्वारा लंगेरा-भद्रवाह सड़क मार्ग पर सर्दियों के दौरान वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने को लेकर सूचित किए जाने पर आदेश जारी किए हैं।

आदेश में यह भी कहा गया है कि अतिरिक्त उपायुक्त भद्रवाह को सहायक अधिशासी अभियंता बॉर्डर रोड, भद्रवाह द्वारा भद्रवाह-लंगेरा सड़क मार्ग का निरीक्षण करने के पश्चात केएम 22 के आगे पाले (फ्रॉस्ट) के जमने के कारण फिसलन पाए जाने और दुर्घटनाओं की प्रबल संभावनाओं के दृष्टिगत सूचित किए जाने पर जनहित में सुरक्षा को लेकर वाहनों की आवाजाही को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध किया गया है। जारी आदेश के तहत किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की रोकथाम को लेकर उपमंडल पुलिस अधिकारी सलूणी, एसएचओ किहार को आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित बनाने को कहा गया है।

विभागाध्यक्षों के लिए पीएम टीबी मुक्त अभियान पर ओरियनटेशन सत्र आयोजित

शिमला/शैल। राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान (पीएमटीबीएमबीए) नि:क्षय मित्र पर एक अभिविन्यास (ओरियनटेशन) सत्र का आयोजन किया गया। सत्र की

अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सुभासीष पन्डा ने समाज के सभी वर्गो से क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को पोषण और भावनात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए नि:क्षय मित्र के रूप में अपनाने का आहवान किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीबी के मामलों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार बीमारी की रोकथाम, पहचान और रोगियों की बेहतर उपचार सुविधाओं पर विशेष बल देते हुए इस गम्भीर बीमारी को खत्म करने के लिए तीव्र गति से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि टीबी के मरीजों को पूरा इलाज करवाने के लिए प्रेरित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। वर्तमान में भी इस बीमारी को सामाजिक कलंक माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कई मरीज इलाज करवाने से कतराते हैं। इस तरह वे अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों में भी इस बीमारी के फैलने की संभावना को बढ़ा देते हैं।

सुभासीष पन्डा ने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 के अंत तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को एक वर्ष पहले हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 70 लाख से अधिक जनसंख्या वाला छोटा राज्य होने के कारण हिमाचल यह लक्ष्य एक वर्ष पूर्व ही हासिल कर लेगा। उन्होंने व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों से राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए आगे आने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि सरकार तपेदिक रोगियों को वित्तीय और पोषण संबंधी सहायता प्रदान कर रही है। आशा कार्यकर्ता डॉट प्रदाता के रूप में काम कर रही हैं और वे यह भी सुनिश्चित कर रही हैं कि मरीज उपचार का छह महीने का कोर्स पूरा करें। प्रदेश में टीबी रोगियों के लिए राज्य सरकार पूरक योजनाओं के रूप में मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना और पीएम टीबी मुक्त भारत योजना को भी लागू कर रही है।

उन्होंने कहा कि आज विश्व एड्स दिवस भी मनाया जा रहा है और यह पाया गया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण एड्स रोगी क्षय रोग के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग में शामिल युवा भी इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं।

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेम राज बैरवा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन करते हुए बताया कि अब तक विधायकों व अन्य हितधारकों के साथ ओरियनटेशन सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य टीबी की व्यापकता दर को कम करना है। प्रदेश में रोगियों को बेहतर पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य में निक्षय मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और नि:क्षय मित्र बनकर प्रदेश में अब तक 761 लोगों ने टीबी के मरीजों को गोद लिया है।

निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी ने अपने प्रस्तुतिकरण में बताया कि राज्य में लगभग 15 हजार चिन्हित टीबी रोगी हैं, जिनमें 62 प्रतिशत पुरुष और 38 प्रतिशत महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने मृत्यु दर को कम करने के लिए दवा प्रतिरोधी रोगियों के इलाज का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी के प्रति जन जागरूकता पैदा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है और निजी क्षेत्र भी मरीजों को जागरूक करने और उपचार प्रदान करने में अपना सहयोग दे रहा है।

ओरियनटेशन सत्र में प्रधान सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों और निगमों के प्रबंध निदेशकों ने भाग लिया।

टी.बी उन्मूलन अभियान को बनाएं जन आंदोलन:अरिंदम चौधरी

शिमला/शैल। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने जिलावासियों से टी.बी उन्मूलन अभियान को जनांदोलन बनाने का आहवान किया है। उन्होंने आग्रह किया कि लोग नि-क्षय मित्र बनकर

टी.बी रोगियों की सहायता को आगे आएं और मंडी जिला को टी.बी मुक्त बनाने के संयुक्त प्रयासों में सहयोगी बनें। उपायुक्त अरिंदम चौधरी सीएमओ सभागार मंडी में आयोजित जिला क्षय रोग उन्मूलन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि क्षय रोग असाध्य रोग नहीं है। इसका पूरी तरह से सफल इलाज किया जा सकता है। रोग की शीघ्र और सही जांच के साथ बिना किसी रुकावट उपचार पूरा करके टी.बी को हराना संभव है। साल 2025 तक भारत को पूर्णत: टी.बी मुक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'टी.बी रोगियों को सामुदायिक सहायता-प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान' लागू किया है। इसके तहत नि-क्षय मित्र योजना चलाई गई है। नि-क्षय मित्र योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था टी.बी मरीजों को अपनी सुविधा के आधार पर 6 माह, एक साल या 3 साल तक पोषण संबंधी सहायता व मानसिक संबल प्रदान करने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। उपायुक्त ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया तथा मंडी जिले के सभी हितधारकों को अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आकर मरीजों को न्यूट्रिशन, नैतिक बल व समर्थन प्रदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि नि-क्षय मित्र के रूप में दी जाने वाली सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली चिकित्सीय सेवाओं एवं सहायता के अतिरिक्त होती है। उन्होंने बताया कि नि-क्षय मित्र योजना में मंडी जिले में वर्तमान में सामुदायिक सहायता प्राप्त करने के लिए 1279 टी.बी रोगियों ने सहमति दी है। उपायुक्त ने पांच रोगियों को एडॉप्ट किया। उन्होंने जिलावासियों का आहवान किया कि वे स्वेच्छा से टीवी के रोगियों को एडॉप्ट करें।

नि-क्षय मित्र के रूप में पंजीकरण के लिए नि-क्षय पोर्टल पर एक वेब पेज कम्यूनिटीस्पोर्ट डॉट निक्षय डॉट आइएन बनाया गया है। इस पर पंजीकरण करने पर एक विशिष्ट आईडी मिलती है जिसके अनुसार खंड चिकित्सा अधिकारी या जिला क्षय रोग अधिकारी नि-क्षय मित्र से संपर्क करके उनके साथ सामुदायिक सहायता प्राप्त करने के लिए सहमति देने वाले सक्रिय टी.बी रोगियों की सूची साझा करते हैं। नि-क्षय मित्र उसके अनुसार सहायता का विकल्प चुन सकते हैं।

बैठक में नि-क्षय मित्र पोर्टल 2.0 में पंजीकरण करने, टीबी रोगी को मैप करने, जिला, खंड या स्वास्थ्य संस्थान के सभी टीबी मरीजों या उनमें से कुछ मरीजों को अडॉप्ट करने सहित अन्य संबंधी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया।

उपायुक्त ने सभी हितधारकों से नि-क्षय मित्र अभियान को सफल बनाने में सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पंचायत प्रतिनिधियों को भी इस अभियान में अपने साथ जोड़े ताकि इसे और अधिक गति मिल सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.देवेंद्र शर्मा ने मंडी जिले में टीबी उन्मूलन को लेकर चलाई व्यापक मुहिम की जानकारी दी।

जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. अरिंदम रॉय ने टीबी उन्मूलन को लेकर जिले में उठाये कदमों की जानकारी दी।

इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित अन्य हितधारक मौजूद रहे।

हिमपात वाले क्षेत्रों में खाद्य सामग्री के पर्याप्त भंडारण के दिए निर्देश

शिमला/शैल। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने मंडी जिला के हिमपात वाले क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों एवं आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के पर्याप्त भंडारण व उपलब्धता सुनिश्चत बनाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने शरद ऋतु में आपदा से निपटने के लिए जिला स्तरीय आपदा

प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सामान्यत: जिला की चौहार घाटी, सिराज तथा करसोग के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात से जनजीवन प्रभावित होता है। इन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के पर्याप्त भंडारण और आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध करवाने के अलावा जरूरी मशीनरी तैयार रखी जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को शीत ऋतु में किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति होने पर जन-धन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पूर्व प्रबन्ध करने और सभी अधिकारियों को पूरी तरह मुस्तैद रहने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों से संबंधित क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों सहित सभी लोगों को खराब मौसम में ज्यादा उँचाई वाले क्षेत्रों में न जाने व ट्रैकिंग न करने को लेकर उपयुक्त कदम उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि होटल मालिकों और टूरिस्ट गाइड्स का भी इसमें सहयोग लें। उन्होंने सभी उपमडलाधिकरियों को अपने यहां आपदा प्रबंधन को लेकर सभी आवश्यक वस्तुओं एवं राहत बचाव कार्यों में उपयोगआने वाले यंत्र व उपकरणों की पूरी व्यवस्था के भी निर्देश दिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग और अग्निशमन विभाग को जिले में फायर हाइड्रेंट्स की मैपिंग करने को कहा। लोक निर्माण विभाग को बर्फबारी की स्थिति में रास्ते बहाल करने व अन्य प्रबंधों के लिए मशीनरी तैयार रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार, एसडीएम मंडी सदर रितिका सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

धर्मशाला कॉलेज में हुआ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

शिमला/शैल। राजकीय डिग्री कॉलेज धर्मशाला के त्रिगर्त सभागार

में अंतर्राष्ट्रीय बहु विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रदेशभर के महाविद्यालयों आये हुए 150 के करीब प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति डॉ. देवदत्त शर्मा ने मुख्य अतिथि के रुप में शिरकत की। डॉ शर्मा ने अपने विचारों को साझा करते हुए बहु विषयक और आंतरिक विषयक का संबंध बताते हुए विद्यार्थियों-शोधार्थीयों को आंतरिक अभियांत्रिकी को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में बौद्धिक दर्शनशास्त्र के प्रवक्ता टेंज़िंग डेम्छो मौजूद रहे। शिक्षा का महत्व बताते हुए उन्होंने करुणा और प्रेम से मानसिक स्वच्छता करते हुए समृद्ध संसार में व्यक्ति के योगदान पर बल दिया। स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म के प्रोफेसर महिंद्रा चंद भी संगोष्ठी में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

इस अवसर पर विदेशी आगंतुकों में अमेरिका से डॉ. क्रिश्चियन जेम्स मॉर्गन, नेपाल से विवेक दत्ता और इटली से नीरज जोली ने रिसोर्स पर्सन के रूप में अपने विचारों को प्रतिभागियों से सांझा किया। संगोष्ठी में तकनीकी सत्रों का आयोजन भी किया गया जिसमें प्रदेशभर के महाविद्यालय से आए हुए प्रवक्ताओं और शोधकर्ताओं ने अपने विचार रखे। प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार (संरक्षक) के नेतृत्व में डॉक्टर अजय सिंह कटोच एसोसिएट प्रोफेसर (कांफ्रेंस कन्वीनर), डॉ संजय पठानिया एसोसिएट प्रोफेसर (कांफ्रेंस कोऑर्डिनेटर), डॉ अमित कटोच (कॉन्फ्रेंस सचिव) और डॉ अखिल गौतम ने कन्वीनर ऑर्गेनाइजिंग समिति के रूप में कार्यक्रम का संचालन किया। संगोष्ठी में सार पुस्तक का भी विमोचन किया गया। महाविद्यालय के शिक्षक एवं गैर शिक्षक वर्ग ने संगोष्ठी को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया।

बुद्धिमान लोग काम करने से पहले सोचते है और मूर्ख लोग काम करने के बाद। .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

चुनावी आकलन–एक पक्ष

चुनावी आकलन किसके कितने सही निकलते हैं यह चुनाव परिणाम आने पर सामने आ जायेगा। हर मतदाता यह मानकर चलता है कि जिसको उसने वोट दिया है विजय उसी की होगी। इसमें अपवाद की गुंजाइश 1% से ज्यादा की नहीं रहती है। चुनावी आकलन मतदान से पहले और बाद दोनों स्थितियों में लगाये जाते हैं। मतदान से पहले के सर्वेक्षणों का प्रभाव मतदान पर भी पड़ता है ऐसी धारणा भी एक समय तक रही है। लेकिन जिस अनुपात में मीडिया पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगता गया उसी अनुपात में यह धारणा प्रश्नित होती गई और आज प्रसांगिक होकर रह गई है। क्योंकि आज मतदाता सरकार बनने के पहले दिन से ही उस पर नजर रखना शुरू करता है। ऐसा इसलिए होता है कि वह सरकार के फैसलों पर उसके कार्यो से सीधा प्रभावित होता है। सरकार के फैसलों को गुण दोष के आधार पर समझना शुरू कर देता है। वह अपने तत्कालिक आवश्यकताओं के तराजू पर सरकार को तोलना शुरू कर देता है। यह तत्कालिक आवश्यकताएं इतनी अहम हो चुकी है कि इनकी प्रतिपूर्ति भी तत्कालिक चाहिए। इन आवश्यकताओं के लिए जब उसे सुदूर भविष्य का सपना दिखाया जाता है तब सरकार से उसका मोह भंग होना शुरू हो जाता है। जब वह व्यवहारिकता में उसमें भेदभाव का सामना करता है तब सरकार और व्यवस्था के प्रतिरोष पनपना शुरू हो जाता है। जो चलते चलते अघोषित विद्रोह की शक्ल लेता जाता है। जब इस रोष को कोई दशा दिशा मिल जाती है तो यह आन्दोलनों में परिवर्तित हो जाता है अन्यथा चुनावी मतदान में यह खुलकर सामने आता है। इसलिए तो यह माना जाता है कि पहली बार घोषित नीतियों के आधार पर सरकारें बनती है। लेकिन सत्ता में वापसी सरकार की परफॉरमैन्स के आधार पर होती है। इस बार के मतदान और उसके परिणामों का आकलन इसी मानक पर होगा। इसमें यदि मीडिया सरकार के कामकाज पर पहले दिन से ही निष्पक्षता के साथ नजर बनाये रखेगा और सरकार से समय–समय पर तीखे सवाल पूछने से नहीं डरेगा तो उसकेआकलन निश्चित रूप से सही प्रमाणित होंगे। यदि कोई चुनाव प्रचार के स्तर पर और उसमें अपनाए गए साधनों की कसौटी पर आकलन का प्रयास करेगा तो ऐसे आकलन सही प्रमाणित नहीं होंगे। क्योंकि प्रचार के साधन तो स्वभाविक रूप से सत्तारूढ़ दल के पास ही सबसे अधिक होंगे तो आकलन भी उसी के पक्ष में आयेगा। लेकिन जब सरकार की परफारमैन्स के सवाल पर यह सामने आयेगा कि जो आरोप यह पार्टी कांग्रेस पर लगाती थी सरकार बनते ही उसी राह पर स्वयं चल पड़ी। लोकसेवा आयोग इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कर्ज लेने के नाम पर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। बेरोजगारी में प्रदेश देशभर में छठे स्थान पर पहुंच गया है। महंगाई के कारण ही चारों उप चुनाव हारे हैं। यह स्वयं मुख्यमंत्री ने माना है। केन्द्र से कोई आर्थिक पैकेज मिलना तो दूर यह सरकार जीएसटी की प्रतिपूर्ति जोर देकर नहीं मांग पायी है। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री और दूसरे केन्द्रीय नेताओं का जितना ज्यादा सहारा लिया गया उसी अनुपात में केन्द्र के जुमले नये सिरे से हर जुबान पर आ गये। अन्ध भक्तों को छोड़कर बाकी हर एक की जुबान पर केन्द्र के चुनाव पूर्व किये गये वायदे आ गये जो कभी वफा नहीं हुये। राम मन्दिर, धारा 370, तीन तलाक और हिन्दू मुस्लिम से हर रोज आम आदमी का पेट नहीं भरता। हजारों टन अनाज बाहर खुले में सड़ गया इसलिये अब सस्ता राशन नहीं मिल सकता। आम आदमी जिन सवालों से पीस रहा है उनका पूछा जाना भक्तों की नजरों में तो कांग्रेस प्रेम हो सकता है। परन्तु आम आदमी की यह पहली आवश्यकता है। गुजरात को मतदान के गणना के लिए तीन दिन और हिमाचल के लिए पच्चीस दिन का अन्तराल क्यों? इस सवाल को पूर्व के आंकड़ों से ढकना बेमानी होगा। यह सही है कि प्रचार तंत्र में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यदि महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार प्रचार तंत्र से सही में बड़े मुद्दे हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता और हिमाचल में यह विपक्ष केवल कांग्रेस है।

इस्लामिक शिक्षाओं में विविधता व बहुसंस्कृतिवाद

गौतम चौधरी

सांस्कृतिक विविधता मानव सभ्यता का हिस्सा है। मानव की प्रगति ने एक दूसरे के प्रति आपसी सम्मान के बुनियादी सिद्धांत के साथ शांतिपूर्वक एक साथ रहने और बातचीत करने के लिए सांस्कृतिक रूप से विविध लोगों के बीच प्रशासन और समालोचना को महत्व देता रहा है। इससे इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि अतीत में समाज और धर्म विविधता के अनुकूल बहुसांस्कृतिक संरचना ग्रहण करता रहा है। अब वर्तमान समय में समझने वाली बात यह है कि आखिर वह कौन–सा तत्व है जो लोगों को एक दूसरे से अलग बनाता है। ऐतिहासिक रूप से यह अंतर जातीयता, जनजातीय मतभेदों और विश्वास प्रणाली से उत्पन्न हुई धार्मिक मान्यता है। इन्हीं तत्वों का उपयोग कर व्यापार करने वाले व्यापारी संसाधनों पर कब्जा जमाते हैं और राजनीतिक व्यक्ति अपनी राजनीतिक शक्ति को एकत्रित करता है। यहीं से मान्यता और धार्मिक शत्रुता प्रारंभ होती है। हाल के दिनों में धार्मिक विभाजन और पहचान के दावे एक मानदंड बन गए हैं, क्योंकि अनुयायियों ने धर्म को केवल एक पहचान चिह्न तक सीमित कर दिया है।

सच पूछिए तो वर्तमान दौर इतना असहिष्णु हो गया है कि चरमपंथी और हिंसक विचारधाराओं के उद्भव ने अन्य धर्मो को उनके जीवन शैली के लिए खतरा और विरोधी घोषित कर दिया है। समाचार और अन्य माध्यमों ने आग में घी का काम किया है। मीडिया में इसके नकारात्मक चित्रण और इसके आधुनिकीकरण के लिए लगातार हस्तक्षेप को देखते हुए इस संबंध में इस्लाम सबसे दुर्भाग्यपूर्ण धर्म रहा है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि इस्लाम बहुसंस्कृतिवाद और विविधता को हतोत्साहित करता है। हालाँकि, मामला सिर्फ इतना है कि इस्लाम और उसके अनुयायियों को आधुनिक जीवन शैली में खुद को अभिव्यक्त करने और एकीकृत करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। इतिहास गवाह है कि इस्लाम या मुसलमानों ने जहां भी प्रवेश किया, वे स्थानीय संस्कृति में एकीकृत हुए और उन राष्ट्रों के राष्ट्रीय विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय उपमहाद्वीप और इंडोनेशिया है।

हम इस्लाम में बहुसंस्कृतिवाद और सांस्कृतिक विविधता की केंद्रीयता के सवाल पर वापस आते है। पवित्र कुरान हमें बताता है कि हम विभिन्न धर्मो के व्यक्तियों के साथ शांति और सद्भाव में सह–अस्तित्व में रह सकते हैं। शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस्लाम क्रॉस–सांस्कृतिक संचार और साझा हितों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। इस्लाम, बहुआयामी सूचना, विभिन्न संस्कृतियों से प्राप्त ज्ञान और बहुसंस्कृतिवाद, शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व का समर्थन करता हैं। इस्लामिक धार्मिक साहित्यों में इसकी व्याख्या कई स्थानों पर मिलती है। चुनांचे, इस्लामिक धार्मिक पुस्तकों के अनुसार, ईश्वर ने विविधता को हमारे लाभ के लिए बनाया है। पुस्तक विभिन्न धर्मो के व्यक्तियों को इस आधार पर पहचानती है कि सभी मानव जाति ईश्वरीय सार में बनाई गई है। इस्लामिक साहित्यों में भी मतभेद को महत्व दिया गया है। बताया गया है कि ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उसके द्वारा बनाया गया है, ताकि हम एक दूसरे के बारे में सीख सकें और सच्चाई तक पहुंच सकें। इस संबंध में इस्लामिक विद्वान मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी साहब पवित्र कुरान का हवाला देते हुए बताते हैं, ''हे मानव जाति, वास्तव में हमने तुम्हें नर और मादा से बनाया है और तुम्हें विभिन्न जनजातियों में बनाया है ताकि तुम एक दूसरे को जान सको'' (कुरान 49:13)। ''और यदि तुम्हारा रब चाहता तो मनुष्य जाति को एक ही समुदाय बना देता, परन्तु उनमें अन्तर न रहेगा'' (कुरआन 11:118)। पैगंबर मुहम्मद ने जिस तरह से खुद को संचालित किया, उसमें विनम्रता और सहिष्णुता का उदाहरण दिया। दुनिया भर में प्रेम, सद्भाव और शांति फैलाने के लिए इस्लाम की शिक्षा मानव जाति को दी गई थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए।

मदीना के संविधान की तुलना में इस संबंध में कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जो सहिष्णुता, विविधता और मानव सुरक्षा के सिद्धांतों का प्रतीक है। अपने प्रवास के बाद, पैगंबर मुहम्मद ने मदीना पैक्ट का मसौदा तैयार किया, जिसे ऐतिहासिक रूप से मानव गरिमा, अधिकार, नागरिकता, विविधता और सह–अस्तित्व को विश्वास, जातीयता, लिंग और रंग में असमानताओं के बावजूद स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में सबसे मौलिक नियामक दस्तावेजों में से एक माना जाता है। सुन्नत साहित्य इस्लाम के पैगंबर द्वारा बनाए गए बहु–विश्वास समाजों में सहवास के उदाहरणों से भरा पड़ा है। उदाहरण के लिए, पैगंबर के अपने यहूदी नौकर की कथा है। वह जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो स्वयं साहब उसकी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। गैर–मुसलमानों के साथ उनका वाणिज्य व्यवहार उस बिंदु तक संबद्ध था कि पैगंबर की मृत्यु के बाद भी उनका कवच एक यहूदी व्यक्ति के पास किराए पर था। इस्लाम के चार ख़लीफ़ाओं ने भी पैगंबर मुहम्मद के आचरण को अपने व्यवहार का अंग बनाया। ईमान लाने वालों को अन्य धर्मो का सम्मान करना अनिवार्य बताया। यही नहीं अपने अनुयायियों को उस पर न केवल आक्रमण करने से परहेज करने को कहा अपितु उनकी रक्षा का संदेश दिया।

अब मुसलमानों को दुनिया को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि इस्लाम एक बहुलतावाद में विश्वास करने वाला पंथ है। जो वैश्विक संदर्भ में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उभरी रूढ़ियों की लहरों के जवाब में विविधता का स्वागत करता है। इन हानिकारक भ्रांतियों को दूर करने के लिए संवाद सबसे प्रभावी औजार है। यह समझने की जरुरत है कि अब मुसलमानों को आपसी मतभेदों और विवादों से न तो डरना चाहिए और न ही उसे अस्वीकार करना चाहिए। अपनी अच्छाइयों को दुनिया के बिना किसी आक्रामकता के प्रस्तुत करना चाहिए। विभिन्न धर्मो के सदस्यों के बारे में जानने, उनके साथ जुड़ने और गले लगाने के लिए संवाद एक महत्वपूर्ण मार्ग है। भारतीय मुसलमान इस दिशा में अग्रणी उदाहरण बन सकते हैं। वैसे अरब देशों के इस्लामिक विद्वानों ने भी इस दिशा में पहल की है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश और इंडोनेशिया है। भारत में भी कुछ इस्लामिक विद्वान इस दिशा में तसल्ली से पहल कर रहे हैं, जो स्वागत योग्य है।

भारत की शतकीय पारी और विज्ञान:विकसित देश होने की राह पर

गौतम आर. देसिराजू
(इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ साइंस)
शरण शेट्टी
(एसोशियेट संपादक स्वराज्य)

15 अगस्त, 2022 को जब भारत ने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिये, उस समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हम सबका आहवान किया था कि हम उस यात्रा में शामिल हो जायें, जिसमें भारत 2047 तक एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित हो जायेगा। यही वह वक्त है, जब एक आजाद देश के रूप में भारत अपनी शतकीय पारी पूरी करेगा। प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मुख्य विशेषताओं में इस यात्रा के तीन पड़ावों का जिक्र था। यह तथ्य कि हम आकांक्षी समाज बन गये हैं, यह कि अब भारतीयों में सांस्कृतिक व सभ्यतामूलक पुनर्जागरण हो रहा है और यह कि विश्व में हम अपना अधिकारपूर्ण स्थान प्राप्त करने का जो दावा कर रहे हैं, उसे अब पूरी दुनिया गंभीरता से ले रही है। हर चीज की योजना के लिये 25 वर्षो का समय कोई लंबा समय नहीं होता और यह बिलकुल साफ है कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी में ठोस प्रगति किये बिना, 'विकसित' होने के इस तमगे को प्राप्त करना कठिन होगा। अगर विकसित देश का दर्जा हासिल करना है, तो भारतीय विज्ञान के लिये उसी के अनुरूप ठोस रोडमैप तैयार करना होगा। पिछले सप्ताह बाली, इंडोनेशिया में जी – 20 की अध्यक्षता प्राप्त करते समय इन मुद्दों को रेखांकित किया गया था। विशेष रूप से देखा जाये, तो विज्ञान – 20 या एस – 20 साइंस इंगेजमेन्ट ग्रुप को सरकार ने स्थापित किया है।

बिना वक्त गंवाये, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने एस – 20 शिखर बैठकों की तैयारी का जायजा लेने के लिये एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। एस – 20 शिखर बैठक अगले वर्ष कोयंबटूर में होगी, जिसकी विषयवस्तु 'डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल गोल' है। इस शिखर बैठक के दौरान 'रिसर्च इनोवेशन इनीशियेटेड गैदरिंग' (आरआईआईजी) विषय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। आरआईआईजी बैठक के उप – विषयों में सतत ऊर्जा के लिये सामग्रियां, वैज्ञानिक चुनौतियां व सतत ब्लू इकोनॉमी, जैव – विविधता और जैव – अर्थव्यवस्था की प्राप्ति के लिये अवसर तथा ऊर्जा अंतरण के लिये आर्थिक – नवोन्मेष शामिल हैं। सरकार को उम्मीद है कि शिखर बैठक सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देगी, जहां पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के लिये प्रारूपों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, वैश्विक स्टार्ट – अप इको – प्रणाली की रचना तथा आईपी शेयरिंग पर आग्रह एजेंडा का हिस्सा होंगे।

विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में हमें कई दशक लगे हैं। अगले वर्ष, जब भारत जी – 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तब हमारे पास यह शानदार अवसर होगा कि हम आगे की राह दिखायें तथा तकनीकी आत्मनिर्भरता और विदेशी सोर्सिंग के बीच संतुलन बिठा सकें। एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह एक राष्ट्रीय परिकल्पना प्रस्तुत करे। इस क्रम में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्रियों ने अतीत में जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के रूप में इसे प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें अब जय अनुसंधान को जोड़ दिया है। विज्ञान और शोधात्मक नवोन्मेष बहुत महत्त्वपूर्ण हो गये हैं। वे निरंतरता और समावेशिता के मद्देनजर जन – परिवेश में भी शामिल हो गये हैं। यह बहुत खास बिंदु है, क्योंकि कोई भी देश मात्र समान उच्च जीवन मानकों के बल पर विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बना है। उसके लिये विज्ञान और अनुसंधान व विकास प्रक्रिया में भारी निवेश भी करना पड़ता है, जिसके तहत विज्ञान प्रयोगशालाओं से निकलकर जन – मानस तक पहुंच जाता है। हमारे औपनिवेशिक दुर्भाग्य ने हमें विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को पश्चिम की तुलना में 150 वर्ष तथा चीन की तुलना में मोटे तौर पर 30 वर्ष पीछे कर दिया। हमने जो 25 – वर्षीय योजना बनाई है, उसे हासिल किया जा सकता है । लेकिन यह तभी होगा, जब हम बिलकुल सटीक रणनीति के साथ योजना बनायेंगे और उस पर अमल करेंगे।

आंकड़ों के आधार पर देखें, तो इस वर्ष 7.8 प्रतिशत की विकास दर के बल पर वर्ष 2026 – 27 तक (यदि तेल की कीमतों में कोई भारी उलट – फेर न हो) हम पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा तक संभावित पहुंच के कारण सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि हम 2031 – 32 तक 9 ट्रिलियन अमेरिकी ड लर तथा 2047 तक 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। इस स्थिति में हम सिर्फ पीपीपी नंबरों के आधार पर नहीं, बल्कि पूर्ण मौद्रिक संदर्भो में दुनिया के तीन सर्वोच्च देशों में शामिल हो जायेंगे।

2047 का लक्ष्य हासिल करने के लिये हमें क्या करना होगा? आर. जगन्नाथ और आशीष चंदोरकर ने स्वराज्य में जो लिखा है, हमें उस पर ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त, मैं इसमें शिक्षा, फार्मा व महिला स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य, निर्यात, मांग – आपूर्ति के असंतुलन पर ध्यान देना, उर्वरक सहित पोषण, समुद्री और ध्रुवीय अनुसंधान सहित जल, जलवायु परिवर्तन, जिनोमिक्स, नैनोमेटीरियल सहित उन्नत पदार्थ, रोबोटिक्स, विद्युत और सौर ऊर्जा चालित वाहन, ड्रोन, वाह्य अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी को आमतौर पर जोड़ना चाहूंगा। इसमें कुछ जरूरी सैक्टरों को भी जोड़ना उचित होगा, जहां विशेषज्ञों द्वारा संचालित वैज्ञानिक कार्य – पद्धति को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी में बदलना शामिल है। विकसित देश बनने की सीढ़ी चढ़ते वक्त उद्योग को केंद्रीय भूमिका अदा करनी होगी, जिसमें सरकार मुख्य तथा सुविधा प्रदान करने वाली भूमिका में होगी। इन सबको वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में लेना होगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला देशों के बीच एक नये युद्ध का औजार बन चुकी है। जिसे हम ठंडे स्थान पर गर्म युद्ध कह सकते हैं।

25 वर्ष की इस छोटी सी अवधि को मद्देनजर रखते हुये, हम कुछ अड़चन वाले क्षेत्रों में आयातित समाधानों की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसके लिये भारत के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये सोची – समझी विदेश नीति की जरूरत है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि कोई भी देश परिस्थितियों को देखते हुये मित्र भी हो सकता है, तटस्थ हो सकता है या विरोधी भी हो सकता है। आर्थिक मोर्चे पर, तकनीकी मामलों को आगे बढ़ने, कौशल विकास, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बौद्धिकता तथा आपूर्ति श्रृंखला की खामियों पर भी ध्यान देना होगा (यह भारी – भरकम पैकेज है।

गैर – आर्थिक, गैर – वैज्ञानिक मामले भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। इन पर फौरन ध्यान देना होगा, वरना ये मुद्दे तकनीकी प्रगति के सारे प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं। जगन्नाथन ने सात आपात मुद्दों की सूची बनाई है, जिन पर फौरन ध्यान जरूरी है: न्यायिक सेवा और कानून लागू करने की प्रक्रिया में सुधार (प्रशासनिक सुधार (उपरोक्त 'ठंडे स्थानों पर गर्म युद्ध' को ध्यान में रखते हुये रक्षा सुधार तथा युद्ध में कृत्रिम बौद्धिकता का उपयोग (गहरे और आपाद संवैधानिक संशोधन, जिसके लिये संविधान सभा जैसी व्यवस्था दरकार हो (चुनाव सुधार, जो बुनियाद में बैठे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये (सभ्यता सम्बंधी कामों को दोबारा करना (भारत की अस्मिता के साथ भारत के पुनर्जागरण का एकीकरण और अंत में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इनमें से कुछ मुद्दे अन्यों की अपेक्षा भारतीय वैज्ञानिक क्रांति को ज्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन कोई भी गैर – जरूरी नहीं है।

अपने मौजूदा प्रशासनिक और प्रबंधन ढांचे को देखते हुये हम कैसे इस महत्त्वाकांक्षी सूची में दर्ज मामलों को पूरा करेंगे? प्रगति का एक महत्त्वपूर्ण अंग है शिक्षा का उचित प्रबंधन। भारत की आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई, उन सबने सबको शिक्षा को सुगम बनाने का मार्ग बनाया। आईआईएससी, आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों ने दुनिया के सामने यह झांकी पेश की कि भारत क्या – कुछ करने की क्षमता रखता है। इस सबके बावजूद हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिये तथा उसके लिये आमूल अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिये अभी बहुत – कुछ करने की जरूरत है। इस समय हमें पूरी तरह उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, यदि आवश्यक हुआ तो निजी विश्वविद्यालयों में। वैज्ञानिक उत्कृष्टता के अभाव में, गुणवत्ता व परिमाण की दृष्टि से हमें विकसित देश बनने का कोई मौका नहीं मिल सकता।

इस सम्बंध में, प्रथम चिंता निवेश की है। इस समय हम अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत शिक्षा और अनुसंधान पर खर्च करते हैं। इस आंकड़े को बढ़ाने की जरूरत है, यानी वह सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 3 – 4 प्रतिशत तो हो। चीन ने 1990 के आसपास ही इस मद में भारी निवेश करना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा आज सबके सामने है कि वहां फलता – फूलता वैज्ञानिक इको – सिस्टम मौजूद है। अपनी बहाल होती अर्थव्यवस्था को देखते हुये सरकार के भरोसे ही बैठ रहना, ठीक नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में निजी सैक्टर की भूमिका न केवल जरूरी है, बल्कि सजग नियमों के तहत उसे आगे भी बढ़ाना जरूरी है।

बहरहाल, एक और पक्ष भी है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। एक बार फिर 25 वर्ष की छोटी सी अवधि को देखते हुये हम कह सकते हैं कि शिक्षा में जो भी बुनियादी बदलाव किया जायेगा, उसके नतीजे 15 वर्षो के बाद ही नजर आयेंगे। इसलिये हमें एक ऐसी रणनीति की फौरन जरूरत है, जो इस समय हमारे पास मौजूद संसाधनों के इस्तेमाल में वृद्धि कर सके। इस बीच, सरकार को भी वित्तपोषण, प्रवेश और प्रशासन के मामले में शिक्षण संस्थानों को चलाने के काम से दूरी बना लेनी चाहिये। केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के बीच की असमानताओं को दूर करना होगा, क्योंकि छात्रों की एक बड़ी तादाद राज्य विश्वविद्यालयों में ही पाई जाती है।

भारत का प्रौद्योगिकीय और अनुसंधान व विकास कार्य का बोझ अभियान – आधारित सरकारी प्रयोगशालाओं को वहन करना चाहिये और इनके जिम्मे शैक्षिक कार्य नहीं होना चाहिये। साथ ही कॉर्पोरेट अनुसंधान प्रयोगशालाओं को भी सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ अनुबंध करके उपरोक्त काम पूरा करना चाहिये। आईआईटी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे वृद्धि, आर्थिक उपयोग तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की समस्याओं का समाधान करेंगे। उनकी गतिविधियां ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्टार्ट – अप तक हो सकती हैं, लेकिन यह भी कोई बड़ा और बुनियादी कारनामा कर दिखाने के लिये अपर्याप्त होगा, जिसकी भारत – 2047 को जरूरत है। अमेरिका 1950 के दशक की शुरूआत में वानेवर बुश के काम को तेजी से आगे बढ़ाने में सफल रहा। इसका कारण था अकादमिक जगत, उद्योग और सरकार तथा ज्यादातर उनकी रक्षा प्रयोगशालाओं के बीच सटीक तालमेल। चीन के असैन्य – सैन्य तालमेल के तहत भी यह रणनीति चलाई जा रही है। हमें किसी भी कीमत पर इससे कम नहीं रहना है।

परमाणु ऊर्जा विभाग इस बात की शानदार मिसाल है कि कैसे एक सरकारी वैज्ञानिक विभाग को संगठित करना चाहिये, जो शैक्षिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो। उल्लेखनीय है कि परमाणु हथियार बनाने के लिये आणविक सामग्री फिसाइल यू – 235 जरूरी होती है। इसके लिये यूरेनियम अयस्क का आयात करना पड़ता है, जिसके लिये 1950 के दशक में हमारे ऊपर कठोर प्रतिबंध लगे थे। तब भारत ने अपने समुद्री किनारों की रेत में मौजूद मोनाजाइट से थोरियम निकालने का रास्ता तैयार कर लिया था। यूरेनियम की कम मात्रा में उपलब्धता की तुलना में दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा थोरियम मिलता है। भारत ने तय किया है कि 2047 तक वह अपनी बिजली की मांग का 30 प्रतिशत हिस्सा थोरियम से पूरा करेगा। हमारा शस्त्र कार्यक्रम और ऊर्जा आवश्यकता के पास थोरियम प्रौद्योगिकी के रूप में अनुसंधान व विकास में हमारी प्रगति का मजबूत सहारा मौजूद है। यह सब इसलिये संभव हुआ क्योंकि परमाणु ऊर्जा विभाग को यह अनुमति दी गई थी कि वह खुद अपने वैज्ञानिकों (और बहुत छोटी संख्या में छात्र – कर्मचारियों) के समूह का सावधानीपूर्वक चयन करे। जरूरत इस बात की है कि यह प्रावधान समस्त गैर – शैक्षणिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और संस्थानों पर लागू किया जाये, जिनके पास फौरन अपनाने योग्य प्रौद्योगिकियों, सामरिक सुरक्षा और उत्पादों व सेवाओं में विज्ञान के तीव्र निरूपण का दायित्व है।

कब, क्या और कैसे की परिभाषित करने के बाद अब जरूरत है राजनीतिक इच्छा – शक्ति की, ताकि इन बदलावों को आकार दिया जा सके। इसके आधार पर हम दुनिया में वास्तविक रूप से विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 तक अपना सिर गर्व से ऊंचा कर पायेंगे।

जनता की अध्यक्षता: क्यों जी20 भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए मायने रखता है?

– अमिताभ कांत –
पूर्व सीईओ नीति आयोग

भारत के राजनयिक संबंधों के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। भारत ने '20 का समूह' (जी20), जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है, की अध्यक्षता ग्रहण की है। 1999 में स्थापित, यह समूह, दुनिया की कुल आबादी का दो-तिहाई, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 80 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। आसान शब्दों में कहें, तो जी20 वैश्विक नीति के संदर्भ में सबसे मजबूत राजनीतिक प्रभाव रखता है, जिसकी वजह से यह समूह वर्तमान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों-सतत विकास लक्ष्य, जलवायु कारवाई, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ, डिजिटल बदलाव आदि -पर विचार-विमर्श करने का प्रमुख मंच बन गया है।

जी20 की अध्यक्षता के साथ, भारत के पास विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय एजेंडा तय करने का अवसर है (ग्लोबल साउथ और विकासशील दुनिया के हितों के वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का मौक़ा है। गठबंधन निर्माण के समृद्ध इतिहास के साथ दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी - मई तक, आधी से अधिक आबादी (52 प्रतिशत) की उम्र 30 वर्ष से कम थी-वाले राष्ट्र के रूप में, भारत के पास बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय और भू-राजनीतिक लाभ हैं, जो अध्यक्ष पद के लिए सर्वथा उपयुक्त है। भारत अपनी प्राथमिकताओं को केन्द्रित करते हुए दुनिया के साथ अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम है। 43 प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख-जी20 का अब तक का सबसे बड़ा-अगले साल सितंबर में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस वर्ष बाली में की गयी घोषणा के अनुरूप, भारत के नेतृत्व की इच्छा 'समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कारवाई उन्मुख' होने की है।

जी20 के नेतृत्व का अवसर ऐसे समय में आया है, जब अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया है, जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी व्यापक प्रभावों के बीच कोविड-19 महामारी ने हमारी प्रणाली की कमजोरी को उजागर कर दिया है। इस संबंध में, भारत की अध्यक्षता के एजेंडे के लिए जलवायु कारवाई एक विशिष्ट प्राथमिकता है, जिसमें न केवल जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान, बल्कि दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए ऊर्जा स्रोतों में न्यायसंगत बदलाव सुनिश्चित करना भी शामिल है। भारत के सामने बिना कार्बन उत्सर्जन किये औद्योगीकरण करने की अनोखी चुनौती है। भारत हरित हाइड्रोजन का व्यापक विस्तार कर रहा है और देश ने 2047 तक 25 मिलियन टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो इसे आने वाले वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी का निर्यातक बना सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जलवायु परिवर्तन उद्योग, समाज और अन्य क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित करता है, भारत ने दुनिया के सामने 'लाइफ' (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) (पर्यावरण के लिए जीवन-शैली) का विकल्प रखा है-एक व्यवहार -आधारित आंदोलन, जो हमारे देश की समृद्ध व प्राचीन सतत परंपराओं पर आधारित है तथा जो उपभोक्ताओं और बाजार को पर्यावरण के प्रति जागरूक तौर-तरीकों को अपनाने के लिए से प्रेरित करती है।

कोविड-19 महामारी ने विकास से जुड़ी प्रगति को वर्षों पीछे धकेल दिया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने अधिक आवश्यक सार्वजनिक -स्वास्थ्य और खाद्य संकटों को ध्यान में रखते हुए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पृष्ठभूमि में रख दिया है। राष्ट्राध्यक्षों के समूह के रूप में, जी20 को एसडीजी हासिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ और तीव्र करना चाहिए-जो लोगों के लिए एक बेहतर, स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक समृद्ध विश्व का वादा करते हैं। वर्तमान चुनौतियों के समाधान के लिए, विश्व को समसामयिक संस्थानों की आवश्यकता है, जो विविधतापूर्ण व आगे बढ़ती हुई दुनिया की आधुनिक वास्तविकताओं को न्यायसंगत और प्रभावी रूप से प्रतिबिंबित करने में सक्षम हों। भारत की जी20 प्राथमिकता 'सुधार के साथ बहुपक्षवाद' के प्रति दबाव बनाये रखने की होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अधिक उत्तरदायी और समावेशी बनाते हैं।

भारत सरकार सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए डिजिटल तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही है। जी20 की अध्यक्षता, भारत को अपना ज्ञान दुनिया के साथ साझा करने का अवसर देती है। दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली (आधार) को सफलतापूर्वक लागू करने और 2014 तथा 2022 के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में 50 गुनी वृद्धि के साथ, भारत डिजिटल सार्वजनिक हितों और विकास के लिए डेटा के उपयोग के संबंध में विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने की केन्द्रीय स्थिति में है। अक्तूबर 2022 में, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने 7 बिलियन लेनदेन पूरे किये-एक दिन में 230 मिलियन लेनदेन के बराबर -जो दर्शाता है कि इतने बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेश मॉडल को शुरू करना और सफलतापूर्वक लागू करना भी संभव है। जी20 नेतृत्व प्रदान करने के साथ, भारत प्रौद्योगिकी के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के प्रति अपने विश्वास को आगे बढ़ा सकता है और सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना, वित्तीय समावेश तथा तकनीक-सक्षम विकास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों समेत कृषि से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्रों में अधिक से अधिक ज्ञान-साझाकरण की सुविधा प्रदान कर सकता है। विशेष रूप से, भारत के जेएएम ट्रिनिटी जैसे वित्तीय समावेश के कार्यक्रमों ने देश की महिलाओं को महत्वपूर्ण वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की है, जिससे वे अपने घरों के निर्णय लेने में सक्रिय भागीदार बन गयी हैं - 56 प्रतिशत बैंक खाताधारक अब महिलाएं हैं, पहले 23 करोड़ महिलाओं को बैंक-सुविधा नहीं थी, लेकिन अब उनके पास बैंकों में अपने खाते हैं।

2023 भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए एक स्वर्णिम वर्ष सिद्ध होने वाला है, लेकिन नीतिगत फ्रेमवर्क को सर्वसम्मति से अंतिम रूप देने का कार्यादेश आसान नहीं है। विश्व व्यवस्था का तेजी से ध्रुवीकरण हो रहा है, रूस-यूक्रेन संघर्ष के साथ व्यापक विकास एजेंडा कमजोर हो रहा है (दुनिया की महाशक्तियों के बीच भू-राजनीतिक संबंध अधिक तनावपूर्ण हो रहे हैं-इन सबके बीच राष्ट्र को जी20 की अध्यक्षता मिल रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था आसन्न मंदी और अब तक के सबसे अधिक वैश्विक-ऋण को लेकर आशंकित है और कई देश कमजोर होती खाद्य सुरक्षा और बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं का सामना कर रहे हैं। इस माहौल में, भारत के पास एकता और सद्भाव के सूत्रधार के रूप में उभरने का अवसर है। बाली में 20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने जी20 विज्ञप्ति के मसौदे पर आम सहमति बनाने में अपरिहार्य भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के शब्द 'आज का युग, युद्ध का नहीं होना चाहिए' सीधे राजनेताओं के घोषणापत्र में परिलक्षित हुए, जो निर्णय गतिरोध को तोड़ने में सफल हुआ और जिससे शांति के पक्षधर के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई।

चूँकि शक्ति के पुराने केंद्र (गुणात्मक आर्थिक और सामाजिक विकास वाले युवा, जीवंत राष्ट्रों को जवाबदेही सौंप देते हैं, इसलिए भारत की महत्वाकांक्षी व कार्रवाई-उन्मुख अध्यक्षता में इस उच्च-स्तरीय गठबंधन को, विकासशील तथा अल्प-विकसित देशों के हितों और जरूरतों के अनुरूप, तैयार किया जा सकता है। अपनी अध्यक्षता के दौरान, भारत वैश्विक चुनौतियों को अवसरों में बदलना जारी रखेगा, यह याद रखते हुए कि हमारे प्रयास 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के लक्ष्य के अनुरूप होने चाहिए।

नौणी में 'पूर्व छात्रों के नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण' पर कार्यशाला

शिमला/शैल। विश्वविद्यालय के 38वें स्थापना दिवस समारोह के तहत डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में 'पूर्व छात्रों के नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण' वानिकी और बागवानी

क्षेत्र में नौकरी की उपलब्धता उद्यमिता के अवसरों और पर जागरूकता' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन आईसीएआर की आईडीपी- एनएएचईपी परियोजना के तहत किया गया था।

विश्वविद्यालय के पांच पूर्व छात्र-सवाना सीड्स के सीईओ अजय राणा (अमज़ोन सीड्स और शेरपा एको रिज़ॉर्ट के संस्थापक डॉ. उमेश महाजन (यूपीएल के क्षेत्रीय निदेशक आशीष डोभाल (प्रसंचेतस फाउंडेशन की निदेशक मंजुला सुलारिया और एनवी ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी के संस्थापक रूपिंदर सिंह ने कार्यशाला में भाग लिया, जिसमें संकाय और 300 से अधिक छात्रों ने भाग लिया।

कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर केई डीन डॉ.मनीष कुमार ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य उन्हें कॉर्पोरेट क्षेत्र में नौकरी और उद्यमशीलता के अवसरों से अवगत करवाना और उन्हें स्टार्टअप शुरू करने और नौकरी प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और छात्रों को बागवानी और वानिकी क्षेत्र में नौकरी और उद्यमशीलता के अवसरों के बारे में बताया।

अजय राणा ने कहा कि छात्रों को नेतृत्व गुण, आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए और खुद पर विश्वास करना शुरू करना होना। आशीष डोभाल ने परिसर में बुनियादी ढांचे के उन्नयन को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और विश्वविद्यालय के साथ अनुसंधान परियोजनाओं करने की इच्छा व्यक्त की। डॉ. उमेश महाजन ने छात्र जीवन के दौरान पाठ्डेतर गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि रूपिंदर सिंह ने अपनी ट्रेडिंग और कंसल्टेंसी कंपनी के विकास के अनुभव को साझा किया और कृषि क्षेत्र के सुधार में प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला। मंजुला सुलारिया ने बागवानी और वानिकी उद्योग में विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करने के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए इच्छा व्यक्त की। पूर्व छात्रों ने डिजिटल मार्केटिंग के दायरे, आज के संदर्भ में स्टार्टअप के लिए छात्रों की तैयारी और स्टार्टअप के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे विभिन्न मुद्दों पर छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भी संबोधित किया। इससे पहले, डॉ. केके रैना, पीआई-आईडीपी ने परिसर में आईडीपी परियोजना के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं पर प्रकाश डाला।

कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ पूर्व छात्र संघ की बैठक हुई। सभी आमंत्रित पूर्व छात्रों ने जॉब फेयर, कैंपस प्लेसमेंट और एमओयू के माध्यम से सक्रिय औद्योगिक इंटरफेस विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया। कुलपति ने विभिन्न उद्योगों में शीर्ष पदों पर कार्यरत पूर्व छात्रों के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संस्थान के विकास में पूर्व छात्रों और विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों की भूमिका और महत्व को परिभाषित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। आईडीपी के सलाहकार डॉ. हरीश कुमार शर्मा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ।

विकलांगता पुनर्वास केंद्र शुरू करने के लिए जल्द उठाए जाएं आवश्यक कदम:डीसी राणा

शिमला/शैल। उपायुक्त डीसी राणा की अध्यक्षता में ज़िला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) की स्थापना को लेकर उनके कार्यालय कक्ष में ज़िला पुनर्वास प्रबंधन समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विकलांगता पुनर्वास केंद्र की स्थापना को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि चूंकि पुनर्वास केंद्र के माध्यम से अक्षम व्यक्तियों को

चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता, यूडीआईडी कार्ड, फिजियो और स्पीच थैरेपी और प्रोस्थेटिक सहायता, परामर्श, चिकित्सा सहायता और अन्य सेवाएं प्राप्त होंगी। ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी विकलांगता पुनर्वास केंद्र शुरू करने को लेकर आवश्यक कदम उठाएं।

उन्होंने पुनर्वास केंद्र के भवन को चिन्हित करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण और जिला कल्याण अधिकारी की संयुक्त कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि कमेटी एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था करना सुनिश्चित बनाए।

बैठक के दौरान डीडीआरसी के सुचारू कामकाज के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को नामित किया गया ।

उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को विकलांगता पुनर्वास केंद्र के सुचारू कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) से प्रस्ताव आमंत्रित करने को भी कहा।

इस अवसर पर सहायक आयुक्त मनीष चौधरी, जिला लोक संपर्क अधिकारी सुभाष चंद कटोच, जिला कल्याण अधिकारी अनिल पुरी, उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी चंद्रवीर सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग राकेश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डॉ. हरित पुरी सहित सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मीना सहगल मौजूद रही।

जिम्मेदार मीडिया संगठनों के लिए जनता का विश्वास बनाए रखना ही सर्वोच्च मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करना मीडिया की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है और उसे तथ्यों को सार्वजनिक क्षेत्र में डालने से पहले ठीक तरह से जांच कर लेनी चाहिए।

एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022 के उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस गति से सूचना को प्रसारित किया जाता है वह काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन सटीकता इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है और यह बात संचारकों के मस्तिष्क

में मुख्य रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के प्रसार के साथ-साथ ही फर्जी खबरों का भी प्रसार हुआ है। इसके लिए उन्होंने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रसारकों के दर्शकों को बताया कि गैर-सत्यापित दावों से निपटने और जनता के सामने सच्चाई प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय में फेक्ट चैक यूनिट की स्थापना की है।

ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि जिम्मेदार मीडिया संगठनों के लिए जनता का विश्वास बनाए रखना भी सर्वोच्च मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक प्रसारकों, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहने और अपनी सत्य और सटीक रिपोर्टिंग के लिए जनता का विश्वास जीतने के लिए श्रेय दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संकट के समय मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि तब मीडिया की भूमिका सीधे तौर पर लोगों की जान बचाने से संबंधित हो जाती है और मीडिया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं के मूल में है।

अनुराग ठाकुर ने कोविड-19 महामारी के दौरान घरों में फंसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आने का श्रेय मीडिया को देते हुए कहा कि यह मीडिया ही था जिसने ऐसे लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़े रखा। उन्होंने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा विशेष रूप से किए गए बेहतर और शानदार तथा भारतीय मीडिया द्वारा आमतौर पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में दर्शकों को सूचित करते हुए कहा कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने सार्वजनिक सेवा जारी रखते हुए बहुत ही संतोषजनक ढंग से कार्य किया और ये महामारी के समय में लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया ने आम तौर पर यह सुनिश्चित किया कि कोविड-19 जागरूकता संदेश, महत्वपूर्ण सरकारी दिशानिर्देश और डॉक्टरों के साथ मुफ्त ऑनलाइन परामर्श के बारे में जानकारी देश के कोने-कोने तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने सौ से अधिक सदस्य कोविड-19 में खो दिए, लेकिन इसके बावजूद भी इस संगठन अपनी सार्वजनिक सेवा को आगे बढ़ाना जारी रखा।

ठाकुर ने मीडिया को शासन में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इन शब्दों को दोहराने के लिए इस मंच का उपयोग किया कि 'मीडिया को सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना चाहिए और उसे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर निरंतर फीडबैक देनी चाहिए'। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि प्रसारण संगठनों के एक संघ के रूप में एबीयू को संकट के समय में मीडिया की भूमिका के बारे में सर्वश्रेष्ठ पेशेवर कौशल वाले मीडियाकर्मियों को प्रशिक्षित और समर्थ बनाना जारी रखना चाहिए और उन्होंने यह वादा भी किया कि भारत ऐसे सभी प्रयासों के लिए तैयार है।

एबीयू सदस्यों के साथ भारत के सहयोग और भागीदारी के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रसार भारती का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान एनएबीएम प्रसारण उद्योग के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में एबीयू मीडिया अकादमी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने लगभग 40 देशों के साथ सामग्री आदान-प्रदान, सह-उत्पादन, क्षमता निर्माण आदि के क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौते कर रखे हैं। इन देशों में कई सहयोगी एबीयू देश-ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, फिजी, मालदीव, नेपाल, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। हमने कार्यक्रम साझा करने के लिए प्रसारण के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के साथ मार्च 2022 में भागीदारी की है। दोनों देशों के प्रसारक कई विधाओं में फैले कार्यक्रमों के सह-निर्माण और संयुक्त प्रसारण में मौजूद अवसरों का भी पता लगा रहे हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए, मसागाकी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में एबीयू द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में प्रकाश डालते हुए क्षेत्र के सभी सार्वजनिक सेवा प्रसारकों द्वारा आपस में सार्वजनिक महत्व के समाचारों को साझा करने के लिए किए जा रहे सहयोग पूर्ण प्रयासों की सराहना की।

जावद मोटाघी ने इस अवसर पर कहा कि यह क्षेत्र विविधता से भरा है फिर भी हम सभी सदस्य देश समानता प्राप्त करते हुए इतनी व्यापक विविधता में सच्ची एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने अपने स्वागत भाषण में टेलीविजन और रेडियो प्रसारकों के सामूहिक हितों को बढ़ावा देने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रसारकों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एबीयू द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि भारत वर्ष 2022 को विभिन्न क्षेत्रों में आजादी का अमृत महोत्सव पहल के माध्यम से औपनिवेशिक शासन से आजादी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में बड़े गर्व से मना रहा है। यह सम्मेलन मीडिया और संचार के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को साझा करने और दुनिया के सामने भारत की समृद्ध विरासत, विशाल विविधता और प्रगतिशील भारत का प्रदर्शन करने का भी एक शानदार अवसर है।

प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक है, जो 59वीं एबीयू महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है। इस वर्ष की महासभा का विषय है -'लोगों की सेवा: संकट के समय में मीडिया की भूमिका'। इस महासभा का उद्घाटन नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ.एल मुरुगन, सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चन्द्रा, एबीयू के अध्यक्ष मसागाकी सटोरू और एबीयू के महासचिव जावद मोटागी भी उपस्थित थे। एबीयू (एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन) एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रसारण संगठनों का एक गैर-लाभकारी, पेशेवर संघ है। चालीस देशों के 50 संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

केंद्र सरकार ले रही मजदूर विरोधी निर्णय

शिमला/शैल। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयक्त मंच के आहवान पर सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने मजदूरों व कर्मचारियों की मांगों पर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किये। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव

प्रेम गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूरों के कानूनों को खत्म करके लेबर कोड बनाने, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश व निजीकरण के निर्णय लिये हैं। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की मज़दूर व कर्मचारी विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों के हित में कार्य कर रही है व मजदूर विरोधी निर्णय ले रही है। पिछले सौ सालों में बने श्रम कानूनों को खत्म करके मजदूर विरोधी श्रम संहिताएं अथवा लेबर कोड बनाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह सरकार मजदूर,कर्मचारी व जनता विरोधी है व लगातार गरीब व मध्यम वर्ग के खिलाफ कार्य कर रही है। सरकार की पूँजीपतिपरस्त नीतियों से देश की नब्बे प्रतिशत आम जनता सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। सरकार फैक्टरी मजदूरों के लिए बारह घण्टे के काम करने का आदेश जारी करके उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश कर रही है। आंगनबाड़ी, आशा व मिड-डे मील योजना कर्मियों के निजीकरण की साज़िश की जा रही है। उन्हें वर्ष 2013 के 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार नियमित कर्मचारी घोषित नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 अक्तूबर 2016 को समान कार्य के लिए समान वेतन के आदेश को आउटसोर्स, ठेका, दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए लागू नहीं किया जा रहा है। केंद्र व राज्य के मजदूरों को एक समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मजदूरों के वेतन को महंगाई व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है। सातवें वेतन आयोग व पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है।

उन्होंने मांग की है कि मजदूरों का केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा एक समान वेतन घोषित किया जाए। मनरेगा में दो सौ दिन का रोज़गार दिया जाए व उन्हें राज्य सरकार द्वारा घोषित साढ़े तीन सौ रुपये न्यूनतम दैनिक वेतन लागू किया जाये। श्रमिक कल्याण बोर्ड में मनरेगा व निर्माण मजदूरों का पंजीकरण सरल किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स टर्म, आउटसोर्स व ठेका प्रणाली की जगह नियमित रोज़गार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार समान काम का समान वेतन दिया जाए। सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश व निजीकरण बन्द किया जाए। श्रम कानून खत्म करके मजदूर विरोधी श्रम संहिताएं(लेबर कोड) बनाने का निर्णय वापिस लिया जाए। सभी मजदूरों को ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, नियमतित रोज़गार, पेंशन, दुर्घटना लाभ आदि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। भारी महंगाई पर रोक लगाई जाए। पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस की कीमतें कम की जाएं। रेहड़ी, फड़ी तयबजारी के लिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए।

धर्मशाला कॉलेज में मृदा संरक्षण को लेकर किया छात्रों को जागरूक

शिमला/शैल। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में विश्व मृदा संरक्षण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजेश शर्मा ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होने विधार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष 5 दिसम्बर को

मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मिट्टी पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों के उपज के लिए सहायक है। उन्होंने कहा कि मिट्टी धरती पर मानव जीवन तथा पशुओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से संवर्धन में सहायता करती है व मिट्टी जीवन के लिए अमूल्य है। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अंजना ने कहा कि मनुष्यों की गलत गतिविधियों की वजह से मृदा नष्ट और दूषित हो रही है। उन्होंने कहा कि इसका असर केवल धरती पर ही नहीं बल्कि सभी तरह के जीव-जंतु, पेड़-पौधे और मानव जाति पर दिखाई पड़ रहा है। जिस कारण से मृदा का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। डॉ. अंजना ने बताया कि विद्यार्थियों में मृदा संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु पोस्टर बनना, नारा लेखन इत्यादि गतिविधियां करवाई गई, जिसमें 46 विद्यार्थियों ने भाग लिया। नारा लेखन प्रतियोगिता में बी. एस.सी तृतीय वर्ष की गोरी प्रथम, मानसी द्वितीय तथा अदिती ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बी.एस. सी तृतीय वर्ष की हिमानी ने झटका तथा महक द्वितीय व तृतीय वंशिका रही। इसके अलावा प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार दीक्षा व दिवांशी को दिया गया। कार्यक्रम में जज का कार्य प्रो. ज्योति द्वारा किया गया। उन्होने कहा कि मृदा अपरदन अथवा भूमि कटाव भारत की गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में मृदा संरक्षण हेतू जैविक उपाय व अभियांत्रिक उपाय को महत्व देने की आवश्यकता है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

प्रदेश की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव होगे धारा 118 में किये गये संशोधन के

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल के विधानसभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन नौ विधेयक पारित किये हैं। यह विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचित होकर कानून की शक्ल लेंगे और उसके बाद जनता के व्यवहार में आकर उसकी प्रतिक्रियाओं का आधार बनेंगे। यह सब इस सरकार के बचे हुए कार्यकाल में संभव नहीं होगा। इन विधेयकों की यदि प्रदेश की जनता को आवश्यकता थी तो इन्हें विधानसभा के पहले सत्र में ही क्यों नहीं लाया गया? क्या इनकी जन उपादेयता समझने में ही सरकार को 5 वर्ष लग गये? यह सवाल आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बनेंगे यह तय है। सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से भी कोई बड़े सवाल इस संद्धर्भ में सामने नहीं आये हैं। इन नौ विधेयकों में एक विधेयक के माध्यम से भू-अधिनियम की धारा 118 में भी संशोधन किया गया है। स्मरणीय है कि धारा 118 के उपयोग/दुरुपयोग को लेकर प्रदेश की सरकारों पर हिमाचल ऑन सेल के आरोप लगते आये हैं। इन आरोपों को लेकर कई जांच आयोग भी बैठ चुके हैं। अभी जब सरकार यह संशोधन ला रही थी तभी इसी सत्र में एक सवाल के माध्यम से सरकार से यह पूछा गया था कि उसने कितने आईएएस/आईपीएस /एच ए एस अधिकारियों को सेब के बगीचे खरीदने की अनुमति दी है? सरकार ने इन्हें भू-राजस्व कानून की धारा 118 के प्रावधानों से छूट प्रदान की है। सरकार ने इन प्रश्नों के उत्तर में मुकेश अग्निहोत्री को बताया है कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। जब सरकार धारा 118 में संशोधन प्रस्तावित कर रही थी तभी 118 से जुड़े प्रश्न पर सूचना एकत्रित किये जाने का उत्तर अपने में ही कई सवालों को जन्म दे जाता है। धारा 118 में प्रावधान है कि कोई भी गैर कृषक हिमाचल में सरकार से अनुमति लेकर गैर कृषि उद्देश्य के लिये जमीन खरीद सकता है। ऐसी अनुमति से खरीदी गयी जमीन को खरीद उद्देश्य के लिये दो वर्ष के भीतर उपयोग में लाना होगा। इस समय सीमा को सरकार की अनुमति से एक वर्ष और बढ़ाने का प्रावधान है। अब इसमें संशोधन करके तीन की बजाय पांच वर्ष तक कर दिया गया है। इसके लिये तर्क दिया गया है कि दो वर्ष के समय में प्राय व्यक्ति उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता है जिसके लिये उसने जमीन खरीदी होती है। हिमाचल पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां के लोगों के पास काश्तकारी बड़ी छोटी छोटी है। जब 1953 में बड़ी जमींदारी खत्म किये जाने का अधिनियम आया था और बड़े जमींदार की परिभाषा में वही लोग आये थे जो सौ रूपये या उससे अधिक का लगान देते थे। उस समय बड़े जमीदारों राज परिवारों के अतिरिक्त कुछ अन्य परिवार आये थे। इस अधिनियम के बाद 1972 में लैण्ड सीलिंग एक्ट आ गया था। इसमें काश्त की अधिकतम सीमा 161 बीघे कर दी गयी। फिर 1974 में भू-राजस्व अधिनियम आ गया इसमें गैर कृषकों के लिये भूमि खरीद पर यह बन्दिश लगा दी गयी कि वह सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते। इसमें दो वर्ष की सीमा लगायी गयी थी। इस प्रावधान को 1975 में ही चुनौती दे दी गयी थी। बल्कि कई बार ऐसा हुआ है लेकिन उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने इस प्रावधान और दो-वर्ष की समय सीमा को जायज ठहराया है। 1995 से लेकर 2010 तक आश्य की आयी छः याचिकाओं पर 1 अक्तूबर 2013 को प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की खण्डपीठ ने विस्तृत फैसला देते हुए दो वर्ष की मूल समय सीमा और उसके बाद एक वर्ष के विस्तार को पूरी तरह जायज ठहराते हुये सभी छः याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि The act is of agrarian and reform and purpose of the act is to check accumulation of property in the hands of few moneyed people. The provision has been made in the act for transfer of land in favour of genuine non-agriculturists with the permission of the State Government who want to use the land of specific purpose. one of the test of genuineness of transfer in favour of non-agriculturist with the permission of the state government is that the land is used by the non-agriculturist/purchaser immediately after its purchase for the purpose it has been purchased by him. Such purchaser before purchase of land with the permission of Government is expected to plan his project knowing fully time within which land is to be put to use for which it has been purchase. The initial period fixed for using the land in extendable as provided in the act. In the circumstances, the stipulation of two years initially with extension of one year to use the land after purchase by non-agriculturist for the purpose for which it has been purchased cannot be said to be arbitrary. Similarly the non-agriculturist after purchase cannot be allowed to divert the purpose for which he has purchased the land without the permission of the State Government. These conditions are necessary to achieve the object of the act. On the basis of individual difficulty in a given case it cannot be said that third proviso to sub-section 2 of section 118 is arbitrary. जयराम सरकार को अदालत के फैसले को पलटने की आवश्यकता क्यों पड़ी और ऐसे कितने मामले सरकार के पास लंबित है जो तीन वर्षो में भी खरीदी जमीन को उपयोग में नहीं ला पाये हैं। ऐसे कितने लोगों के खिलाफ इसी अधिनियम के प्रावधान के तहत कारवाई की अनुशंसा प्रस्तावित थी। इन सारे सवालों पर चर्चायें उठेगी ऐसा माना जा रहा है।

क्या एनजीओ भवनों का दुरुपयोग हो रहा है

अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के पत्र से उठा मुद्दा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को एक ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में बने एनजीओ भवनों का दुरुपयोग हो रहा है। मांग की गई है कि सामान्य प्रशासन इन भवनों को शीघ्र अपने नियंत्रण में ले। स्मरणीय है कि कर्मचारी संगठनों को अपना दायित्व ठीक से निभाने के लिये कर्मचारी महासंघ के नाम पर जमीनों का आवंटन करके इन भवनों का निर्माण करवाया था। सरकारी धन से बने इन भवनों का उद्देश्य कर्मचारी नेतृत्व को सुविधा प्रदान करना था। ताकि वह कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों को सुचारू ढंग से उठा सके। कर्मचारी संगठनों के लिए प्रक्रिया और नियमावलि तय है। इसी के अनुसार चयनित संगठन को सरकार मान्यता प्रदान करती है। जयराम सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि वह प्रक्रिया और नियमों की अनदेखी करके बने संगठन को ही मान्यता देकर कर्मचारी मुद्दों पर वार्ता के लिए आमंत्रित करती है। सरकार के इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार से वर्तमान महासंघ एक प्रायोजित संगठन बनकर रह गया है। यह आरोप उस समय लगाये जा रहे हैं जब चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होना है। यह स्वभाविक है कि इन आरोपों और मांगों के परिदृश्य में प्रदेश के कर्मचारी राजनीति में नये समीकरण बनेंगे और इससे संगठनों में आगे चलकर एक टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि बनने वाली सरकार इस मांग पर किस तरह का रुख अपनाती है।

यह है सौंपा गया ज्ञापन

हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारीसेवाएंमहासंघ

NON-GAZETTED SERVICES FEDERATION

Vinod Kumar
President
Email: vk275101@gmail.com
94181-20088 (M)

Ashwani Kumar Sharma
Sr. Vice President

GiteshPrashar
Secretary General
98162-94099 (M)

ज्ञापनदिनांक : 05.12.2022

विषयः- अराजपत्रित कर्मचारी सेवाऐ महासंघ(HPNGO, Federation) के नाम एन जी ओ भवनों के अनाधिकृत दावे/इस्तेमाल और तथाकथित प्रायोजित महासंघ के साथ बैठक कर कर्मचारी वर्ग से सरकार की धोखेबाजी के बारेI

मान्यवर, महोदय

हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ आपका ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता है कि प्रदेश के कई जिलों में एन जी ओ भवन है, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने महासंघ के नाम भूमि उपलब्ध करवाकर सरकारी बजट से यह भवन बनाए है जिनका मूल उद्देश्यकर्मचारीवर्गका कल्याण और सुविधा के लिए आवंटित किए गए थे, जिनका वर्तमान में महासंघ के नाम पर दुरुपयोग हो रहा है, जिन्हें कार्मिक विभाग और जिला प्रशासन अपने कब्जे में लें I सिविल सेवाएं संघ मान्यता अधिनियम 1959, संशोधित नियम 1993 की नियमावली के अनुसार कर्मचारी संगठन के संविधान और सरकार की नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर कर्मचारी वर्गो के बहुमत में जो कार्यकारणी चुनी जाती है, सरकार इन नियमों के आधार पर कर्मचारी मसलों पर उस संघ से वार्ता करती है और ऐसी सुविधाएं उस कार्यकारणी के अधीन रहती है I

लेकिन हिमाचल की जयराम सरकार ने नियम प्रक्रिया को दरकिनार कर एक पत्र संख्या पी ई आर (एपी)-सी-एफ (4)-1/ 2018- एल- दिनांक 20.07.2021 जारी किया जिसमें सरकारने अपना एक प्रायोजित तथाकथित महासंघ बना डाला जो प्रदेश के कर्मचारियों के मूल अधिकारों पर कुठाराघात कर सरकार ने अपनी तानाशाही प्रदर्शित कर प्रदेश में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद को बढावा दिया हैऔर जयराम सरकार का यह महासंघ 20 नवम्बर को महासंघ का स्थापना दिवस भी नहीं मना पाया I सरकार ने खुद ही इस हेराफेरी को अंजाम दे दिया जिसके कारण जहाँ प्रदेश के लाखों कर्मचारियो से सरकार ने धोखा कर तानाशाही की, वही महासंघ के नाम एन जी ओ भवनों / सम्पति का दुरूपयोग कर लाखों रुपयों की दुकानों के नाम पर पगड़ी का लेन-देन कर हेराफेरी की जा रही है, जिसकी जाँच की जानी अनिवार्य है I इसलिए मांग है कि सरकार इन भवनों को तुरन्त अपने कब्जे में ले, क्योकि यह अनियमितताओं के अड्डे बन गए है जिनका अब कर्मचारी कल्याण से कोई सरोकार नहीं रह गया है I

इसके अतिरिक्त मान्यवर, महोदय से यह भी आग्रह है कि सरकार का कार्मिक विभाग अपने पत्र दिनांक 20 जुलाई 2021 के सन्दर्भ में यह स्पष्ट करने की कृपा करें कि सरकार के प्रायोजित महासंघ ने कार्मिक विभाग के इस पत्र का इस्तेमाल कर महासंघ के नाम पर कितनासदस्य शुल्क और संगठनो से एफिलेशन फीस / धनराशी एकत्रित की गई है और क्या इसके लेखा-जोखा का ऑडिट कार्मिक विभाग द्वारा किया गया है, के सम्बन्ध में बतानेकी अनुकम्पा करें I

भवत सद्भावी
-हस्ता-
विनोदकुमार
प्रदेशाध्यक्ष

श्री आर. डी. धीमान जी,
मान्यवर मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2